इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 584]

भोपाल, शुक्रवार दिनांक 26 अक्टूबर 2018-कार्तिक 4, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2018

फा. क्र. 10क-2018-चार-क-निरर्हित व्यक्ति-207.—भारत निर्वाचन आयोग के आदेश क्रमांक सं. 76/MP-LA/2013, दिनांक 25 अक्टूबर 2018 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

सं. 76-म.प्र.-वि.स.-2013

नई दिल्ली, दिनांक 25 अक्टूबर 2018—03 कार्तिक, 1940 (शक)

संदर्भ: वर्ष 2013 में आयोजित मध्यप्रदेश विधान सभा के साधारण निर्वाचन में 81-देवसर (अजा) विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी, श्री सुभाष चन्द्र के विरुद्ध, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अन्तर्गत अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत की गई अपील.

आदेश

यत:, मध्यप्रदेश राज्य में विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2013 के दौरान 81-देवसर विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले एक अभ्यर्थी, श्री सुभाष चंद्र को विधि द्वारा अपेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहने के लिए आयोग के आदेश सं. 76-म.प्र.-वि.स.-2013, दिनांक 07 जून 2016 के जिरए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 10क के अन्तर्गत निरर्हित कर दिया गया था; और

यत: आयोग के निरर्हता आदेश दिनांक 07 जून 2016 की प्राप्ति के उपरान्त, श्री सुभाष चंद्र ने आयोग के पूर्वोक्त आदेश के द्वारा अधिरोपित निरर्हता को हटाने के लिए संगत दस्तावेजों के साथ पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 11 के अन्तर्गत एक अपील दिनांक शून्य प्रस्तुत की है: और

यत: अपीलीय प्राधिकारी के नोटिस में लाए गए सभी सारवान् तथ्यों पर विचार करने के उपरान्त उनका यह विचार है कि ऐसे पर्याप्त कारण हैं जो विधि द्वारा अपेक्षित समय एवं रीति से निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में उनके द्वारा असफल रहने की व्याख्या करते हैं और इस प्रकार अपीलार्थी द्वारा किए गए निवेदनों के आलोक में, अपीलीय प्राधिकारी ने आयोग के आदेश सं. 76-म.प्र.-वि.स.-2013, दिनांक 07 जून 2016 के द्वारा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अन्तर्गत उन पर अधिरोपित निरर्हता की अविध को एतदद्वारा कम करने का निर्णय लिया है.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा एतद्द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग के दिनांक 7 जून, 2016 के आदेश के तहत, धारा 10क के अन्तर्गत, श्री सुभाष चंद्र पर अधिरोपित निरर्हता, इस आदेश की तारीख से हट जाएगी. परिणामस्वरूप, आयोग के दिनांक 7 जून 2016 के आदेश सं. 76-म.प्र.-वि.स.-2013 में क्रम संख्या 08 पर प्रदर्शित, श्री सुभाष चंद्र का नाम इस आदेश की तारीख से उक्त आदेश से विलोपित कर दिया गया माना जाएगा.

आदेश से, हस्ता./-(अनुज जयपुरियार) प्रधान सचिव, भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

No. 76-MP-LA-2013

New Delhi, Dated 25th October—2018—03 Kartika, 1940 (Saka)

In re: Appeal under section 11 of the Representation of the people Act, 1951 (43 of 1951) for removal of disqualification imposed under Section 10A of the said Act of Shri Subhash Chandra a contesting candidate from 81-Deosar (SC) Assembly Constituency at the General Election to Legislative Assembly of Madhya Pradesh held in 2013.

ORDER

WHEREAS, Shri Subhash Chandra, a contesting candidate from 81-Deosar Assembly Constituency in the State of Madhya Pradesh during General Election to the Legislative Assembly, 2013, had been disqualified under section 10A of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), for failure to lodge the account of his election expenses in the manner required by law, *vide* Commission's Order No. 76-MP-LA-2013, dated 7th June 2016; and

Whereas, after receipt of the Commission's disqualification order dated 07th June 2016, Shri Subhash Chandra has presented an appeal dated Nil under Section 11 of the aforesaid Act, along with the relevant documents, for removal of disqualification imposed of him *vide* Commission's aforesaid order; and

Whereas, after considering all the material facts brought to his notice, the Appellate Authority is of the view that there are sufficient reasons that explained his failure to lodge the account of election expenses in the time and manner required by law and hence, in view of the submission made by the appellant, the Appellate Authority hereon decided to reduce the period of disqualification imposed on him, under Section 10A of the R. P. Act, 1951 vide Commission's Order No. 76-MP-LA-2013, dated 7th June 2016.

It is hereby decided by the Competent Authority, that the disqualification imposed on Shri Subhash Chandra, under Section 10A, vide Election Commission of the order dated 07th June 2016 shall stand removed from the date of this order. Consequently, the name of Shri Subhash Chandra appearing at Serial No. 08 in the Commission's Order No. 76-MP-LA-2013, dated 7th June 2016, shall be deemed to have been deleted from the said order with effect from the date of his order.

By order,
Sd/(ANUJ JAIPURIAR)
Principal Secretary,
Election Commission of India.